

# कार्यालय वनमंडल अधिकारी मोहला वनमंडल मोहला

जिला- मोहला-मानपुर-अं.चौकी

दस्तावा - (कार्या.) ई.मेल- [dfmohla@gmail.com](mailto:dfmohla@gmail.com)

कं./तक.अधि/2024/2131  
प्रति,

मोहला,दिनांक 22/06/24

कार्यालय अभियंता  
जल संसाधन संभाग  
राजनांदगांव

विषय:- Proposal for diversion of 48.83 ha. of forest land for Construction of Markatola Tank in Favour of water Resource Department, Rajnandgaon under Forest Conservation Act,1980 in Rajnandgaon District In the State of Chhattishgarh regarding.

संदर्भ:- पंजीयन क./FP/CG/IRRIG/23251/2016  
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) अटल नगर रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध सिंचाई/425-61/763 दिनांक 18.03.2019, 1217 दिनांक 16.05.2019, 1404 दिनांक 06.06.2019, 1997 दिनांक 13.08.2019, 1066 दिनांक 02.06.2020 एवं 1609 दिनांक 07.07.2023।

0.0.0

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति के अधिरोपित शर्त के पालन में दिये गये अनुसार कंडिका कं iii, ix & x में दर्शित राशि का विवरण निम्नानुसार है।

| व्यपवर्तन का रकबा हे. में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रत्याशा मुल्य (NPV) सघन वन की 8.03 लाख की दर से राशि  | वैकल्पिक (CA) वृक्षारोपण का कुल रकबा (हे.में) | वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) सिंचित रुपये 9,68,666.00 प्रति हे. की दर से वर्ष 2023-24 हेतु | मृदा संरक्षण (Soil & moisture Conservation) की राशि 25% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                       | 4                                             | 5                                                                                      | 6                                                       |
| 48.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,92,10,490.00                                          | 102.237                                       | 9,88,29,032.00                                                                         | 2,47,07,258.00                                          |
| (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 में दिये गये निर्देशानुसार प्रत्याशा मुल्य की राशि दर निर्धारण किया गया है। जिसके त इको क्लास III, सघन वन हेतु राशि रुपये 12,28,590/- प्रति हे. की दर से लिया जाना है, एवं क्षति पूर्ति वृक्षारोपण हेतु वार्षिक वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 11,89,880/- (विगत वर्ष के निर्धारित दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि) |                                                         |                                               |                                                                                        |                                                         |
| व्यपवर्तन का रकबा हे. में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रत्याशा मुल्य (NPV) सघन वन की 12.28 लाख की दर से राशि | वैकल्पिक (CA) वृक्षारोपण का कुल रकबा (हे.में) | वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) सिंचित रुपये 11,69,680 प्रति हे. की दर से वर्ष 2024-25 हेतु   | मृदा संरक्षण (Soil & moisture Conservation) की राशि 25% |
| 48.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,99,52,050.00                                          | 102.237                                       | 11,95,84,574.00                                                                        | 2,98,96,144.00                                          |

प्रकरण में अंतिम चरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उच्च कार्यालय से दिये गये निर्देशानुसार प्रत्याशा मुल्य, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं मृदा संरक्षण योजना की राशि में वृद्धि की गई है। इस प्रकार की कुल राशि रुपये 20,94,32,768.00 जमा किया जाना है। आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक.अधि./41/7964 दिनांक 08.12.2023 द्वारा डिमांड नोट जारी किया गया था। जिसके तहत आपके द्वारा पत्र क./1123/व.ले.लि./2024 दिनांक 30.03.2024 द्वारा आर. टी.जी. एस. के माध्यम से कैम्पा मद अंतर्गत राशि रु. 13,62,00,000.00 जमा किया गया है। शेष अंतर की राशि रुपये 7,32,32,768.00 जमा किये जाने उपरांत ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कि जायेगी। आपसे अंतर की राशि रुपये का पालन प्रतिवेदन भी निम्नानुसार दिया जाना है, जो कि आज प्रयत्न कर अप्राप्त है।

अतः उक्त राशि का वेब-पोर्टल पर ई-चालान जनरेट कराकर ऐंडहाक कैम्पा खाता में जमा करावे तथा जमा की राशि की एक प्रति इस कार्यालय में देवे, ताकि प्रकरण से संबंधित प्रथम चरण का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।

वनमंडलाधिकारी  
मोहला वनमंडल मोहला



# कार्यालय, वनमंडल अधिकारी, मोहला वनमंडल मोहला

दूरभाष - (कामी) ई मेल - dfomohla@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./ 872

मोहला, दिनांक 21/03/2025.

प्रति,

कार्यालय अभियंता  
जल संसाधन संभाग  
राजनादगांव

**विषय :-** Proposal for diversion of 48.83 ha. Of forest land for Construction of Markatola Tank in favour of water resource Department Rajnandgaon under forest conservation Act. 1980 in rajnandgaon Dist. In the State of Chhattishgarh.

**संदर्भ :-** इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2131 दिनांक 27.06.2024.

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 में दिये गये निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य की राशि दर निर्धारण किया गया है। जिसके तहत ईको क्लास III, सघन वन हेतु राशि रुपये 1228590 /— प्रति हे. की दर से लिया जाना है, एवं क्षति पूर्ति वृक्षारोपण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 1169680 /— ( विगत वर्ष के निर्धारित दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि)

प्रकरण में अंतिम चरण की स्वीकृति प्राप्त नही होने के कारण उच्च कार्यालय से दिये गये निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं मृदा संरक्षण योजना की राशि में वृद्धि की गई हैं। इस प्रकार की कुल राशि रुपये 209432768.00 जमा किया जाना था, किंतु लिपिकीय त्रुटि वर्ष NPV की राशि की गणना 1227770.84 से की जा कर राशि रुपये 59952050.00 की प्रत्याशा मूल्य निकाला गया था जिसकी गणना 1228590 से की जानी थी। इस प्रकार पूर्व में गणना की गई राशि 59952050.00 एवं 1228590.00 के अनुसार 59992050.00 होना था। इस प्रकार 40000.00 रुपये NPV की राशि में कम जमा किया गया है। अतः NPV की राशि 40000.00 अविलम्ब <sup>जमा</sup> करने का कष्ट करें।

वनमंडलाधिकारी

मोहला वनमंडल मोहला

मोहला, दिनांक 21/03/2025.

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 873

**प्रतिलिपि :-** 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध / व.सं.अ.) रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।  
2.मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

वनमंडलाधिकारी

मोहला वनमंडल मोहला